न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–09, शाहजहॉपुर।

उपस्थितः– कमलापति–प्रथम ––––––––––एच0जे0एस0।

<u>सत्र परीक्षण संख्या–07/2014</u>

1. उत्तर प्रदेश राज्य ––––––––अभियोजन।

बनाम

1. एजाज पुत्र अलीजान
2. सितारा पुत्री अलीजान
3. नायब पत्नी अलीजान

निवासीग्राम–बझेड़ा, थाना जैतीपुर, शाहजहॉपुर। –––––––अभियुक्तगण।

मु0अ0सं0–74/2013,
धारा–325, 324, 323, 308, 504, एवं 506 भा0दं0सं0
थाना–जैतीपुर, जिला–शाहजहॉपुर।

<u>निर्णय</u>

थाना जैतीपुर, जिला शाहजहॉपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण एजाज, सितारा, अलीजान एवं नायब के विरुद्ध धारा 325, 324, 323, 308, 504, एवं 506 भा0दं0सं0 के अपराध हेतु विचारण के लिए आरोपपत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किये जाने पर उक्त अपराध को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम शाहजहॉपुर द्वारा प्रश्नगत मामले को अपने आदेश दिनांकित 04.01.2014 से विचारण हेतु सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया, जो सत्र परीक्षण संख्या–07/2014 पर दर्ज होकर सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी शेर मोहम्मद द्वारा थाना जैतीपुर पर इस आशय की जुबानी सूचना दी गयी कि उसकी पत्नी शहाना एजाज से मोबाइल से बाते कर रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि एजाज से मोबाइल से बाते क्यों कर रही थी। इतना कहना था कि खाना नं0 2 के अभियुक्तगणों ने पुनः बुरी–बुरी गालियॉ देने लगे। उसने गालियॉ देने से मना किया तो उसे लाठी–डन्डो से मारपीट करने लगे। वह चिल्लाया तो खाना नं0 5 के गवाहान गांव के बहुत से लोग आ गये, जिन्होनें उसे बचाया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना जैतीपुर पर एन0सी0आर0 संख्या–38/2013, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 दर्ज की गयी। तदोपरान्त विवेचक द्वारा वादी शेर मोहम्मद का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिसमें वादी के सिर पर आयी चोट के एक्सरे सलाह दी गयी। वादी के सिर के एक्सरे में उसकी सर की हड्डी टूटी पायी गयी, जिसके आधार पर नकल रपट संख्या 90/2013 दिनांक 11.05.2013 पर मु0अ0सं0

74/2013 अन्तर्गत धारा 323, 324, 325, 308, 504, 506 भा0दं0सं0 में तरमीम कर पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान गवाहों के बयान अंकित किये गये। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। संकलित साक्ष्य के आधार पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तगण एजाज, सितारा, अलीजान, नायब के विरुद्ध धारा 325, 324, 323, 504, 506, 308 भा0द0सं0 के अपराध हेतु आरोपपत्र प्रेषित किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2014 को अभियुक्तगण एजाज, सितारा, अलीजान एवं नायब के विरुद्ध धारा 323/34, 324/34, 325/34, 504, 506 एवं 308 भा0द0सं0 के अपराध हेतु आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण द्वारा इन्कार करते हुये परीक्षण कराये जाने की मांग की गयी।

दौरान मुकदमा अभियुक्त अलीजान की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध दिनांक 09.07.2015 को मुकदमा उपशमित किया गया। अब केवल अभियुक्तगण एजाज, सितारा एवं नायब के विरुद्ध विचारण किया जा रहा है।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित उक्त अपराध के आरोपों को साबित किये जाने हेतु पी0डब्लू–1 शेरमोहम्मद, पीडब्लू–2 आसी उर्फ आशिक अली, पीडब्लू–3 नत्थू अली, पीडब्लू–4 एच0सी0पी0 राजाराम, पीडब्लू–5 डा0एम0पी0 गंगवार, पी0डब्लू–6 डा0 अभिनव पाण्डे, पी0डब्लू–7 कां0 रामसेवक पैरोकार को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में नक्शा नजरी प्रदर्श क–1, जी0डी0 कार्बन प्रति प्रदर्श क–2, आरोप पत्र प्रदर्श क–3, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क–4, एक्सरे प्लेट पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 1, 2 व 3, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–5, सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श क–6, एन0सी0आर0 कार्बन प्रति प्रदर्श क–7, कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–8 डाला गया।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अंकित किया गया, जिसमें उनके द्वारा घटना से इनकार करते हुये अपने विरुद्ध प्रस्तुत किये गये बयानों के गलत होने के कथन किये गये और यह भी कथन किया गया कि साक्षी नत्थू अली पुलिस का मुखविर व दलाल है। यह सामान्य लोगों की पुलिस में शिकायत करके धन ठगने का कार्य करता है।

बचाव पक्ष को प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदत्त किया गया। बचाव पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में लिखित बहस दाखिल की गयी, जिसमें यह कथन किया गया कि साक्षी पी0डब्लू–1 जो इस मुकदमें का वादी व स्वंय चुटहैल है ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि जब वह बाहर से गांव आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी शहाना मुल्जिम एजाज से

मोबाइल से बात रही थी। जब उसने मना किया तो चारो अभियुक्तगण ने उसे लाठी डंडो से मारपीटकर सिर व शरीर में चोटें पहुँचायी वहीं दूसरी ओर इस साक्षी से जिरह किये जाने पर पूर्णतया घटना को इंकार करते हुए कथन किया गया कि जो मारपीट की घटना हुई थी वह पत्नी से मोबाइल से बात करने के दो तीन घंटे बाद हुई थी। अंधेरी रात होने के कारण वह पहचान नही पाया कि उसे किसने मारा था। वह मारपीट करने वालों को पहचान नही पाया था। इस प्रकार इस साक्षी का बयान विरोधाभासी व सन्देहास्पद प्रतीत होते है, जो अभियोजन कथानक को विरोधाभासी बनाते है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया। इस साक्षी को अभियोजन की याचना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसने शेर मोहम्मद की चिल्लाने की आवाज बचाओ–बचाओ की सुनी। आवाज सुनकर वह शेर मोहम्मद के घर गया तो देखा कि मुल्जिम एजाज, सितारा, श्रीमती नयाबू व अलीजान सभी लोग लाठी डंडो से शेर मोहम्मद को मार रहे थे। उसने ललकारा मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देकर चले गये। वहीं दूसरी ओर प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया गया है कि वह पैरों से चल नही पाता है। वह घुटने के बल चलता है। उसने घटना मोड़ पर से देखी थी। इस प्रकार इस साक्षी का बयान सन्देहास्पद प्रतीत होता है। साक्षी पी0डब्लू–4 जो इस मुकदमें के विवेचक है उन्होनें दौरान विवेचना असावधानी व लापरवाही की है। उक्त साक्षी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सावधानी पूर्वक नही किया गया है। इस साक्षी द्वारा त्रुटिपूर्ण विवेचना करते हुए गलत तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–5 व पी0डब्लू–7 औपचारिक साक्षी है। साक्षी पी0डब्लू–6 ने चुटहिल शेर मोहम्मद की पूरक आख्या को साबित किया है। इस प्रकार इस साक्षी का साक्ष्य महत्वपूर्ण नही है।

मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक ढंग से अध्ययन एवं परिशीलन किया।

अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323/34, 324/34, 325/34, 504, 506 एवं 308 भा0द0सं0 का आरोप लगाया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये उक्त आरोपों को सन्देह के परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि साक्षी पी0डब्लू–1 वादी मुकदमा शेर मोहम्मद द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथन का समर्थन किया गया है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में एकराय होकर लाठी डन्डों व घातक हथियारों से लैस होकर वादी मुकदमा को उपहति

कारित की गयी है। वादी के सिर पर गम्भीर चोटों के कारण उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गयी। अतः अभियुक्तगण द्वारा कारित गम्भीर प्रकृति के कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाये।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्षी पी0डब्लू–1 जो कि इस मुकदमें का वादी व स्वंय चुटहैल साक्षी है ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है परन्तु प्रतिपरीक्षा में उसने विरोधाभासी कथन करते हुए कहा है कि उससे मुल्जिमान एजाज, सितारा, अलीजान व नायब ने मारपीट नही की थी और न ही गाली गलौज किया था। साक्षी पी0डब्लू–2 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसने शेर मोहम्मद की चिल्लाने की आवाज बचाओ–बचाओ की सुनी। आवाज सुनकर वह शेर मोहम्मद के घर गया तो देखा कि मुल्जिम एजाज, सितारा, श्रीमती नयाबू व अलीजान सभी लोग लाठी डंडो से शेर मोहम्मद को मार रहे थे। उसने ललकारा मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देकर चले गये। वहीं दूसरी ओर प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया गया है कि वह पैरों से चल नही पाता है। वह घुटने के बल चलता है। उसने घटना मोड़ पर से देखी थी। आगे यह भी तर्क दिया गया कि वह राजनीति में हिस्सा नही लेता है। वह लोगों की मदद नही करता है। वह केवल दुकान चलाता है। गांव में कुछ भी होता रहे उसे कोई मतलब नही है। वह किसी के लड़ाई झगड़े में नही पड़ता है। किसी के यहॉ कुछ भी होता रहे वह दुकान से उठकर नही जाता है। इस प्रकार इस साक्षी का बयान सन्देहास्पद प्रतीत होता है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–4 जो इस मुकदमें के विवेचक ने अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा नजरी प्रदर्श क–1, जी0डी0 कार्बन प्रति प्रदर्श क–2 व आरोप पत्र प्रदर्श क–3 के रुप में साबित किया है। साक्षी पी0डब्लू 5 व साक्षी पी0डब्लू–7 औपचारिक साक्षी के रुप में परीक्षित हुए है। साक्षी पी0डब्लू–6 ने चुटहिल की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–5 व पूरक रिपोर्ट प्रदर्श क–6 के रुप में साबित किया है। अतः अभियुक्तगणों को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–1 शेर मोहम्मद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह इस मुकदमें के मुल्जिमान एजाज, सितारा व श्रीमती नायबू को जानता पहचानता है। वह मुल्जिमान अलीजान को भी जानता पहचानता था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। सभी मुल्जिमान उसके गांव बझेड़ा भगवानपुर के ही रहने वाले है। घटना वाले दिन वह मजदूरी करने गया था। मजदूरी करके वह अपने घर शाम को आया तो उसकी पत्नी श्रीमती शहाना हाजिर अदालत मुल्जिम एजाज से बाते कर रही थी। उसने अपनी पत्नी को एजाज से मोबाइल से बात करने से मना किया और कहा कि आप एजाज से बाते क्यों कर रही हो। इतना कहने पर उपरोक्त सभी मुल्जिमान गन्दी–गन्दी गालियॅा देने लगे। गालियां देने से उसने मना किया तभी मुल्जिमान एजाज, श्रीमती सितारा, श्रीमती

नायबू व अलीजान ने लाठी डन्डो से उसके साथ मारपीट करने लगे, जिससे उसके सिर व शरीर में काफी चोटें आयी थी। उसके चिल्लाने पर गांव के काफी लोग नत्थू, आसपास के तमाम लोग आ गये थे, जिन्होनें उसे बचाया था। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये और कह रहे थे कि साले कहीं रिपोर्ट लिखाने गया तो जान से मार देगें। आई चोटों के कारण वह बेहोश होकर गिर गया। गांव वाले उसे थाना जैतीपुर लेकर गये। वहॉ पर उसने मुल्जिमान के खिलाफ रपट लिखायी थी और पुलिस ने उसका मेडिकल कराया था। दरोगा जी ने उसके बयान लिये थे। शाहजहॉपुर में उसका एक्स–रे हुआ था।

अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू–2 आसी उर्फ आशिक अली ने सशपथ साक्ष्य दिया कि वह इस मुकदमें के मुल्जिमान एजाज, श्रीमती सितारा, नायाब को जानता पहचानता है। मुल्जिम अलीजान को भी जानता पहचानता था। उसकी मृत्यु हो चुकी है। सभी मुल्जिमान उसके ही गांव के रहने वाले है। घटना आज से करीब सवा तीन वर्ष पूर्व साढ़े आठ बजे रात की है। घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद था। उसने शेर मोहम्मद के चिल्लाने की कोई आवाज नही सुनी थी और न ही उसने मुल्जिम एजाज, श्रीमती सितारा, नायाब व अलीजान को वादी शेर मोहम्मद को लाठी डन्डो से मारते नही देखा है न ही गाली गलौज करते सुना और न ही जान से मारने की धमकी देते सुना। उसने कोई घटना नही देखी। उसके सामने कोई घटना घटित नही हुई। उसका घर शेर मोहम्मद के घर से दूर है। घटना के समय वह घर पर मौजूद था।

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी0डब्लू–3 नत्थू अली ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि इस मुकदमें के मुल्जिमान एजाज, श्रीमती नयाबू और श्रीमती सितारा को जानता व पहचानता है। मुल्जिमान उसके ही गांव बझेड़ा भगवानपुर के रहने वाले है। इस मुकदमें के मुल्जिम अलीजान को भी वह जानता था उसकी मृत्यु हो चुकी है। घटना आज से करीब सवा तीन साल पहले समय करीब 8:30 बजे शाम की है। घटना वाली रात को वह अपने घर पर था। उसने शेर मोहम्मद के चिल्लाने की आवाज बचाओ–बचाओ की सुनी। आवाज सुनकर वह शेर मोहम्मद के घर गया तो देखा कि मुल्जिम एजाज, श्रीमती सितारा व श्रीमती नायाबू व अलीजान सभी लोग लाठी डन्डो से शेर मोहम्मद को मार रहे थे। उसने मुल्जिमान को ललकारा फिर मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देकर चले गये। शेर मोहम्मद वही गिर गया था। वह तथा और लोग घायल शेर मोहम्मद को जैतीपुर ले गये। जैतीपुर से तिलहर अस्पताल रेफर किया गया। फिर तिलहर से जिला अस्पताल शाहजहॉपुर रेफर किया गया था। घटना के सम्बन्ध में दरोगाजी ने बयान लिया था। शेर मोहम्मद के सिर में चोट थी तथा शरीर के अन्य भागों में भी चोट थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू0 4 एच0सी0पी0 राजाराम ने सशपथ साक्ष्य दिया कि दिनांक 24.04.2013 को वह थाना जैतीपुर में एच0सी0पी0 के पद पर तैनात था। उसने इस मुकदमें की विवेचना एस0ओ0 के आदेश से ग्रहण की थी। उस दिन नकल

एन0सी0आर0, नकल रपट का उल्लेख सी0डी0 में किया। एन0सी0आर0 लेखक के बयान अंकित किये तथा मजरुब की मेडिकल रिपोर्ट सी0डी0 में उल्लेख किया। दिनांक 11.05. 2013 को बयान वादी शेर मोहम्मद, बयान गवाह नत्थू अली, गवाह आसिक के बयान लिये तथा विवेचना दौरान घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया था। नक्शा नजरी उसके लेख व हस्ताक्षर में है। वह अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। नक्शा नजरी पेपर खण्डक पर प्रदर्श क–1 डाला गया तथा बयान समाई साक्ष्य अंकित किये तथा एक्स–रे रिपोर्ट की नकल सी0डी0 में की तथा मेडिकल रिपोर्ट व एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर धारा 323, 504, 506 एवं 324 भारतीय दण्ड संहिता से बढ़ोत्तरी धारा 325, 308 भारतीय दण्ड संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी तथा 324, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता पहले से ही अंकित थी। बढ़ोत्तरी जी0डी0 उसने मूल जी0डी0 के साथ एक ही प्रक्रिया में खुलासा किया था। मूल जी0डी0 की कार्बनप्रति शामिल पत्रावली है। उसके लेख व हस्ताक्षर में है। मूल जी0डी0 की कार्बन प्रति पेपर सं0 2 पर प्रदर्श क–2 डाला गया। दिनांक 13.05.2013 को अभियुक्त एजाज, सितारा, अलीजान व श्रीमती नयाब का बयान अंकित किये तथा मजरुब की पूरक आख्या का सी0डी0 में उल्लेख किया। तमामी विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 308, 325, 324, 323, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोप पत्र उसके लेख व हस्ताक्षर में है। आरोप पत्र सं0 31/2013 व पेपर सं0 3क पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी0डब्लू0 5 डा0 एम0पी0 गंगवार ने सशपथ साक्ष्य दिया कि दिनांक 24.04.2013 को वह जिला चिकित्सालय में रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन ई0एम0ओ0 सी0एच0सी0 तिलहर द्वारा संदर्भित मजरुब शेर मोहम्मद पुत्र दीन मोहम्मद निवासी बझेड़ा भगवानपुर, थाना जैतीपुर के एक्सरे उसकी देखरेख में किये गये जिसके सिर के एक्सरे में फ्रैक्चर पाया गया जिसमें कोई कैलस नही बना था व दाहिनी अनामिका ऊंगली की पहली फैलिंग्स हड्डी टूटी पायी गयी, जिसमें कैलस नही बना था। एक्सरे रिपोर्ट व एक्सरे प्लेट शामिल पत्रावली है। एक्सरे रिपोर्ट उसके हाथ की लिखी व दस्तखती है, जिस पर मजरुब का निशानी अंगूठा एवं पहचान का चिन्ह अंकित है, जो उसके द्वारा प्रमाणित है। एक्सरे रिपोर्ट पर प्रदर्श क–4 व एक्सरे प्लेट पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 1, 2 व 3 डाले गये।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–6 डा0 अभिनव पाण्डे ने सशपथ बयान दिया कि दिनांक 24.04.2013 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर में मेडिकल अफसर के पद पर तैनात था। उस दिन चुटहैल शेर मोहम्मद पुत्र दीन मोहम्मद, निवासी ग्राम बझेड़ा भगवानपुर, थाना जैतीपुर जिसे होमगार्ड हरपाल सिंह मजरुबी चिट्ठी लेकर थाना जैतीपुर से लेकर आये थे। उक्त चुटैल को समय 12:25 ए0एम0 (रात) में लाया गया था। चुटैल का पहचान चिन्ह–काला तिल छाती के सीधी तरफ 02 से0मी0 दाहिने शरीर के

बीच से और 05 से0मी0 क्लैविकल हड्डी के नीचे मौजूद था। चुटैल के निम्नवत् चोटें पायी गयी।

1. सर की चोट जो कि एक लेस्रेटेड वुन्ड (फटा हुआ घाव) हड्डी तक गहराई में 01 से0मी0 X 07 से0मी0 जिसके आसपास 05 से0मी0 X 10 से0मी0 सूजन मौजूद थी, जो कि सर के सीधी तरफ के प्रेन्टो पैरिटल हिस्से में दिख रही थी।

2. तीन खरोच का निशान जिनका आकार 4 से0मी0 X 0.4 से0मी0, 4 से0मी0 X 0.4 से0मी0, 1 से0मी0 X 0.2 से0मी0 था और जो कि गले के बायें तरफ मौजूद थी।

3. एक स्किन की गहराई तक का फटा हुआ घाव जिसका आकार 02 से0मी0 X 0.2 से0मी0 तथा ऊपरी स्किन फट गयी थी। दाहिनी हाथ की बीच वाली ऊंगली के ऊपरी तरफ मौजूद थी।

4. एक सूजन जिसका आकार 03 से0मी0 X 1.5 से0मी0 और जो कि दाहिने हाथ की रिंगफिंगर में मौजूद थी। 3.5 से0मी0 ऊंगली के टिप से ऊपर की ओर तथा ऊंगली के हिलाने से उसमें काफी दर्द मौजूद था।

रायः— चोट नं0 1 व 4 के लिए एक्सरे की सलाह दी गयी। चोट नं0 2 व 3 साधारण एवं फ्रेश थी और चोट नं0 2 किसी नाखून की खरोंच से आना सम्भव है। चोट नं0 3 किसी हार्ड ब्लन्ट वस्तु से आना सम्भव है। चोट नं0 1 व 4 फ्रेश थी और दोनों चोटें किसी हार्ड ब्लन्ट वस्तु से आना सम्भव है। एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर चोट नं0 1 फ्रैक्चर आफ स्कल बोन नजर आया, जिसमें कोई भी कैलस नही था। चोट सं0 4 के एक्सरे में पहली फ्लेन्गल आफ राइट फिंगर का फ्रैक्चर नजर आया। इसमें भी कोई कैलस नही था। एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार चोट नं0 1 व 4 ग्रीवियस इन्जरी थी। पत्रावली में शामिल मेडिकल रिपोर्ट कागज संख्या–6क व सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट कागज संख्या 7क वरवक्त मुआयना उसके द्वारा तैयार की गयी थी, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। मेडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्श क–5 तथा सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू–7 कां0 रामसेवक पैरोकार ने सशपथ साक्ष्य दिया कि वह वर्ष 1988 से पुलिस सेवा में कार्यरत है और जनपद शाहजहॉपुर के विभिन्न थानों पर नियुक्त रहा है। शामिल पत्रावली एन0सी0आर0 संख्या–38/2013 सम्बन्धित मु0अ0सं0 74/2013 धारा 325, 323, 504, 506, 308 भारतीय दण्ड संहिता की कार्बन प्रति उसके समक्ष है, जो कां0/क्लर्क 1044 अखलाक अली के लेख व हस्ताक्षर में है। उक्त अखलाक अली उसके साथ तैनात रहे है। उनको लिखते पढ़ते देखा है, उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। उपरोक्त एन0सी0आर0 की कायमी जी0डी0 नकल रपट नं0 29 दिनांकित 23.04.2013 जो पत्रावली पर छायाप्रति शामिल है भी उपरोक्त अखलाक अली के लेख व हस्ताक्षर में है। एन0सी0आर0 पर प्रदर्श क–7 व कायमी जी0डी0 पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 में यह प्रावधानित है कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता है। वह दोनों में किसी भॉति की कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा। यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाये तो वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

अभियोजन की ओर से चुटहैल/वादी मुकदमा शेर मोहम्मद को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और कहा है कि जब वह शाम को अपने घर आया तो उसकी पत्नी मुल्जिम एजाज से बाते कर रही थी। उसने अपनी पत्नी को एजाज से मोबाइल से बात करने से मना किया तो सभी मुल्जिमान गन्दी–गन्दी गालियॉ देने लगे। गालियॉ देने से मना किया तभी मुल्जिम एजाज, श्रीमती सितारा, श्रीमती नायबू व अलीजान ने उसे लाठी डन्डों से मारपीटा, जिससे उसके सिर व शरीर में काफी चोटें आयी परन्तु प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अपने उक्त कथन को पूर्णतः नकारते हुए कहा है कि जब उसकी पत्नी फोन पर बात कर रही थी, उस समय वहॉ कोई मुल्जिम मौजूद नही था। उसे जानकारी नही है कि उसकी पत्नी फोन पर किससे बाते कर रही थी। अंधेरी रात होने के कारण वह जान नही पाया था कि उसे किसने मारा था। उसने लोगों के कहने पर थाने पर रिपोर्ट लिखा दी थी। रिपोर्ट उसे पढ़कर नही सुनायी गयी थी। मुल्जिम एजाज, सितारा, अलीजान व नायब ने उससे मारपीट नही थी और न ही गाली गलौज किया था।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अभियोजन केस के विपरीत बयान दिया है। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करके प्रतिपरीक्षा नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि अभियोजन पक्ष इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में दिये गये बयान को स्वीकार करता है।

साक्षी पी0डब्लू–1 जो अभियोजन केस के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके विरोधाभासी बयान एवं प्रतिपरीक्षा में घटना को नकारने की प्रकृति को देखते हुए यह प्रकट होता है कि यह साक्षी विश्वसनीय नही है। इस साक्षी के बयान के आधार पर अभियोजन अपना केस साबित नही कर सकता।

इस प्रकार इस साक्षी का साक्ष्य अभियोजन कथानक के विपरीत, अत्यन्त विरोधाभासी व सन्देहास्पद है। इस साक्षी का उक्त कथन अभियोजन कथानक को बल प्रदान नही करता है, जिस कारण इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नही रह जाता है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–2 आसी उर्फ आशिक अली ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है कथन किया है कि

उसने मुल्जिम एजाज, श्रीमती सितारा, नायब व अलीजान द्वारा शेर मोहम्मद को लाठी डन्डों से मारते नही देखा है और न ही गाली गलौज करते सुना और न ही जान से मारने की धमकी देते सुना। उसने कोई घटना नही देखी।

अभियोजन की प्रार्थना पत्र इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और प्रतिपरीक्षा की अनुमति दी गयी तो प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि दरोगा जी ने उससे कोई पूछताछ नही की थी। गवाह को बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 पढकर सुनाया गया तो उसने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नही दिया था। पता नही कैसे लिख लिया। यह कहना गलत है कि वह किसी डर या दबाव में झूठी गवाही दे रहा हो।

इस प्रकार अभियोजन कथानक के अनुसार मौके का साक्षी पी0डब्लू–2 ने घटना के बारे में पूर्णतः अनभिज्ञता प्रकट की है। इस साक्षी के बयान से अभियोजन केस का तनिक भी समर्थन नही होता है। अभियोजन द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नही निकाला जा सका, जो अभियोजन केस को बल प्रदान करता हो।

अभियोजन की ओर से चश्मदीद साक्षी पी0डब्लू–3 नत्थू अली को परीक्षित किया गया। इस साक्षी ने घटना का समर्थन करते हुए कथन किया है कि वह घटना वाली रात अपने घर पर था। उसने शेर मोहम्मद की चिल्लाने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर वह शेर मोहम्मद के घर गया तो देखा कि मुल्जिम एजाज, सितारा, श्रीमती नयाबू व अलीजान सभी लोग लाठी डन्डो से शेर मोहम्मद को मार रहे थे, उसने मुल्जिमान को ललकारा। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देकर चले गये। शेर मोहम्मद वही गिर गया था वह तथा और लोग घायल शेर मोहम्मद को जैतीपुर ले गये।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि वह पैरों से नही चल पाता है। वह घुटने के बल चलता है। उसे नही पता कि उस समय अंधेरा पक्ष था या उजाला पक्ष था। उसने घटना मोड़ पर से देखी थी। आगे यह भी तर्क यह दिया गया कि वह लोगों की मदद नही करता है। गांव में कुछ भी होता रहे उसे कोई मतलब नही है। वह किसी के लड़ाई झगड़े में नही पड़ता है। किसी के यहॉ कुछ भी होता रहे वह दुकान से उठकर नही जाता है।

बचाव पक्ष द्वारा उठाये गये उक्त तर्को में पर्याप्त बल है। प्रस्तुत प्रकरण में स्वंय चुटहैल पी0डब्लू–1 ने अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की है। स्वीकृत तौर पर घटना के वक्त स्वंय चुटहैल अभियुक्तगण के सर्वाधिक नजदीक था। घटना के तथ्य के बारे में सर्वाधिक ज्ञान साक्षी पी0डब्लू–1 को था। साक्षी पी0डब्लू–1 द्वारा घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता सिरे से नकार दिया गया है। ऐसी स्थिति में साक्षी पी0डब्लू–3 जो विकलांग है व दूर से घटना को देखा जाना कहा है। इसकी बातो को सही नही माना जा सकता। यह भी तर्क बलयुक्त है कि साक्षी पी0डब्लू–3 विकलांग है स्वाभावतः वह किसी के झगड़े में नही पड़ता है। ऐसी स्थिति में रात्रि के अंधेरे

में अपने घर से चलकर साक्षी पी0डब्लू–1 के घर पहुॅचना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। इस प्रकार इस साक्षी का साक्ष्य अभियोजन कथानक को बल प्रदान नही करता है, जिस कारण यह साक्षी विश्वसनीय प्रतीत नही होता है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–4 जो इस मुकदमें का विवेचक है ने अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा नजरी प्रदर्श क–1, जी0डी0 कार्बन प्रति प्रदर्श क–2 एवं आरोप पत्र प्रदर्श क–3 के रुप में साबित किया है।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह किये जाने पर इस साक्षी द्वारा कहा गया कि उसने नक्शा नजरी शेर मोहम्मद मजरुब के कहने पर बनाया था। नक्शा नजरी उसने घटना के 7–8 दिन बाद बनाया था।

इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से और प्रस्तुत मामले के विवेचक साक्षी पी0डब्लू–4 द्वारा वादी शेर मोहम्मद द्वारा दिये गये बयान तथा उसकी निशानदेही पर तैयार किये गये घटनास्थल की नक्शा नजरी में भिन्नता है, जिस कारण प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटनास्थल ही साबित नहीं किया जा सका है। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा जिस तरीके की घटना व जिस स्थान पर घटित होना बताया गया है, उसे संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–5 डा0 एम0पी0 गंगवार है, जिनके द्वारा चुटहैल/वादी मुकदमा का एक्सरे किया गया। एक्सरे में मजरुब के सिर में फ्रैक्चर पाया गया व दाहिनी अनामिका उगॅुली की पहली फेलिंग्स हड्डी टूटी पायी गयी। इस साक्षी द्वारा एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क–4 व एक्सरे प्लटे वस्तु प्रदर्श 1, 2 व 3 के रुप में साबित किया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–6 डा0 अभिनव पाण्डे द्व ारा चुटहैल का शारीरिक परीक्षण किया गया, जिनके द्वारा चुटहैल के शरीर पर निम्न चोटें पायी गयीः–

1. सर की चोट जो कि एक लेस्रेटेड वुन्ड (फटा हुआ घाव) हड्डी तक गहराई में 01 से0मी0 X 07 से0मी0 जिसके आसपास 05 से0मी0 X 10 से0मी0 सूजन मौजूद थी, जो कि सर के सीधी तरफ के प्रेन्टो पैरिटल हिस्से में दिख रही थी।

2. तीन खरोच का निशान जिनका आकार 4 से0मी0 X 0.4 से0मी0, 4 से0मी0 X 0.4 से0मी0, 1 से0मी0 X 0.2 से0मी0 था और जो कि गले के बायें तरफ मौजूद थी।

3. एक स्किन की गहराई तक का फटा हुआ घाव जिसका आकार 02 से0मी0 X 0.2 से0मी0 तथा ऊपरी स्किन फट गयी थी। दाहिनी हाथ की बीच वाली ऊंगली के ऊपरी तरफ मौजूद थी।

4. एक सूजन जिसका आकार 03 से0मी0 X 1.5 से0मी0 और जो कि दाहिने हाथ की रिंगफिंगर में मौजूद थी। 3.5 से0मी0 ऊंगली के टिप से ऊपर की ओर तथा ऊंगली के हिलाने से उसमें काफी दर्द मौजूद था।

रायः– चोट नं0 1 व 4 के लिए एक्सरे की सलाह दी गयी। चोट नं0 2 व 3 साधारण एवं फ्रेश थी और चोट नं0 2 किसी नाखून की खरोंच से आना सम्भव है। चोट नं0 3 किसी हार्ड ब्लन्ट वस्तु से आना सम्भव है। चोट नं0 1 व 4 फ्रेश थी और दोनों चोटें किसी हार्ड ब्लन्ट वस्तु से आना सम्भव है। एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर चोट नं0 1 फ्रैक्चर आफ स्कल बोन नजर आया, जिसमें कोई भी कैलस नही था। चोट सं0 4 के एक्सरे में पहली फे्लेन्गल आफ राइट फिंगर का फ्रैक्चर नजर आया। इसमें भी कोई कैलस नही था। एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार चोट नं0 1 व 4 ग्रीवियस इन्जरी थी। इस साक्षी द्वारा मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–5 व सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श क–6 के रुप में साबित किया है।

यह तथ्य उल्लेखनीय है कि साक्षी पी0डब्लू–5 एवं पी0डब्लू–6 के उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मजरुब/वादी मुकदमा शेर मोहम्मद के शरीर पर चोटें व फ्रैक्चर पाया गया परन्तु इनके साक्ष्य से यह साबित नही होता है कि यह चोटें अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को लाठी डन्डों से मारपीटकर पहुॅचायी गयी है।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–7 हेड0 कां0 रामसेवक पैरोकार है, जो कि औपचारिक साक्षी के रुप में परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा एन0सी0आर0 प्रदर्श क–7 एवं कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–8 के रुप में साबित किया है।

विधि व्यवस्था **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम हरिशचन्द्र गुप्ता 2014 (84) ए0सी0सी0 879**, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दोषमुक्ति के विरूद्ध राज्य द्वारा संस्थित अपील में, जहॉ पर यह पाया कि साक्षियों के बयान में सारवान अन्तर्विरोध था और अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका, वहॉ पर दोषमुक्ति के आदेश को सही माना गया। यह विधि व्यवस्था अभियुक्तगण की सहायता करती है।

अतः अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त साक्षियों के जिन साक्ष्यों को अंतर्विरोधी बताते हुए न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया था, यह न्यायालय बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उन तर्कों से सहमत है। गम्भीर मामलों में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने हेतु साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अत्यंत ही विश्वसनीय, तर्कसंगत व अविचल होना चाहिए परन्तु प्रस्तुत मामले में साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं संपोषक साक्ष्य में घोर अंतर्विरोध है, जो अभियुक्तगण के दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय **विजयी सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1990 एआईआर 1459, 1990 एससीआर (2) 573,** में अभियोजन के सबूत के भार के सम्बन्ध में यह विधि व्यवस्था दी है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था के संगत प्रस्तर निम्नवत् उद्धृत हैं–

> *"It will be useful to refer to some of the passages from the text books of outstanding authors on evidence and then*

proceed to consider the ratio laid down by the Supreme Court cases on this aspect. In Phipson on Evidence, 13th edn. page 44, a passage reads as follows:
"The burden is upon the prosecution of proving a defendant's guilt beyond reasonable doubt before he is convicted. Even where the evidential burden shifts to the defendant the burden of establishing proof beyond reasonable doubt remains upon the prosecution and never changes. If on the whole case the jury have such a doubt the defendant is entitled to be acquitted."
"Another passage at page 48 reads as follows:' "In criminal cases the prosecution discharge their eviden- tial burden by adducing sufficient evidence to raise a prima facie case against the accused. If no evidence is called for the defence the tribunal of fact must decide whether the prosecution has succeeded in discharging its persuasive burden by proving its case beyond a reasonable doubt. In the absence of any defence evidence, the chances that the prose- cution has so succeeded fare greater. Hence the accused may be said to be under an evidential burden if the prosecution has established a prima facie case. Discharge of the eviden- tial burden by defence is not a pre-requisite to an acquit- tal. The accused is entitled to be acquitted if at the end of and on the whole of the case, there is a reasonable doubt created by the evidence given by either the prosecution or the prisoner .....No matter what the charge ..... the principle that the prosecution must prove the guilt of the prisoner is part of the common law of England and no attempt to whittle it down can be enter- tained."

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन के पास साक्ष्य का नितान्त अभाव है। साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने में पूर्णतः विफल रहे है। इस कारण अभियुक्तगण एजाज, सितारा व नायब लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323/34, 324/34, 325/34, 504, 506 एवं 308 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण एजाज, सितारा एवं नायब सत्र परीक्षण संख्या–07/2014, मु0अ0सं0–74/2013, में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323/34, 324/34, 325/34, 504, 506 एवं 308 भा0दं0सं0 से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके स्वबंधपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभू को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रत्येक को आदेशित किया जाता है कि वे धारा 437ए दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुरूप 20,000/–20,000/– रूपये का स्वबंधपत्र व इतनी ही धनराशि के

दो–दो प्रतिभू इस उद्देश्य हेतु प्रस्तुत करें कि यदि इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाती है एवं उन्हें तलब किया जाता है तो वे वहॉ उपस्थित होंगे। यह बंधपत्र छः माह की समयावधि तक प्रभावी रहेगा।

दिनांकः 19.08.2020

(कमलापति–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–09, शाहजहाँपुर।

आज यह निर्णय एवं आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः 19.08.2020

(कमलापति–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–09, शाहजहाँपुर।